राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 12(1)खा.वि./चीनी/2015-।।   जयपुर, दिनांक : 03.10.2018

समस्त जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को चीनी वितरण के संबंध में।

प्रसंग :- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के पत्र कमांक एफ. 21(79)राराखानाआनि/चीनी/आवंटन/2017-18/2140 दिनांक 08.05.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में राज्य के समस्त अन्त्योदय (AAY) परिवारों (कुल 6,80,392) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय त्रैमास (अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर) हेतु उप आवंटन जारी किया जाना है। इस संबंध में निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुसार उप आवंटन जारी किया जाता है:-

1. माह अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक की चीनी अन्त्योदय परिवारों को निर्धारित पात्रतानुसार प्रति परिवार 01 किग्रा चीनी प्रति माह देय होगी।
2. **माह अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक की अवधि का चीनी आवंटन एनआईसी द्वारा निर्मित साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है तथा वितरण की समस्त कार्यवाही पोस मशीनों के माध्यम से संचालित की जाएगी। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन राज्य स्तर से ऑनलाईन किया जा रहा है, जिसे जिला रसद अधिकारी द्वारा "Send to Pos" किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों द्वारा चीनी आवंटन पूर्वानुसार पोश मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जो ऑनलाईन परिलक्षित होगा।**
3. **राज्य स्तर से चीनी का उप-आवंटन एनआईसी सॉफ्टवेयर से ऑनलाईन किया जा रहा है, अतः जिला रसद अधिकारी तुरन्त आवश्यकतानुसार लिफ्टिंग एवं वितरण सुनिश्चित करें।**
4. **यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय त्रैमास (अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर) हेतु है जो वर्तमान त्रैमास अवधि के तीन माह में उठाव योग्य है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को अधिकतम 03 किग्रा. चीनी माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2018 तक देय है। किसी भी स्थिति में लाभार्थी परिवार को 01 किग्रा. चीनी प्रति माह वितरण योग्य है जो वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 किग्रा. से अधिक देय नहीं होगी।**
5. अन्त्योदय परिवार तृतीय त्रैमास की चीनी एक साथ अर्थात 03 किग्रा. चीनी एक ट्रांजेक्शन के माध्यम से त्रैमास के किसी भी माह में प्राप्त कर सकेगा।

6. अन्त्योदय लाभार्थी द्वारा एक ट्रांजेक्शन से त्रैमास की सम्पूर्ण पात्रतानुसार 03 किग्रा चीनी एक साथ प्राप्त करने के स्थान पर त्रैमास की अवधि में एकाधिक ट्रांजेक्शन के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी। प्रति लाभार्थी परिवार को त्रैमास के कुल आवंटन की सीमा तक ही अधिकतम चीनी देय होगी।

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 के तृतीय त्रैमास हेतु कुल 1,118.450 मै. टन चीनी का आवंटन उचित मूल्य दुकानवार उपलब्ध अवशेष स्टॉक की मात्रा के आधार पर किया जा रहा है, जिन संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर त्रैमास की आवश्यकता अनुसार चीनी का स्टॉक उपलब्ध है, उनमें आपूर्ति नहीं की जाए। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध स्टॉक की सूचना एनआईसी के पोर्टल पर उपलब्ध है।

8. उचित मूल्य दुकानों पर चीनी की आपूर्ति 50 किग्रा. के बैग में की जा रही है, अतः उचित मूल्य दुकानवार चीनी का आवंटन 50 के गुणांक में किया जाए।

9. सभी जिलों में उचित मूल्य दुकानदारों के पास चीनी के स्टॉक की उपलब्धता एवं उनको किये गये उप–आवंटन के आधार पर आवश्यक मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम क्रय विक्रय सहकारी समितियों/भण्डारों की चीनी से आपूर्ति की जावे। सहकारी समितियों/भण्डारों की चीनी समाप्त होने पर ही निगम अपने गोदामों से उचित मूल्य दुकानों को चीनी आपूर्ति कर अन्त्योदय परिवारों को उपलब्ध करवायेंगे।

10. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने जिले से संबंधित उचित मूल्य के दुकानदारों एवं सहकारी समिति/भण्डार के पास उपलब्ध चीनी का स्टॉक सही गुणवत्ता का होने पर वितरण करायेंगे।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की संशोधित नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी वितरण की पात्रता मात्र अन्त्योदय अन्न परिवारों की है। किसी भी अन्य श्रेणी को यह आवटंन देय नहीं है।

12. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चीनी का उप–आवंटन ऐसी उचित मूल्य दुकानों पर ही अनुमत है, जिनमें अन्त्योदय अन्य योजना के लाभार्थी रजिस्टर्ड (कुल 23,344 उ.मू.दु.) हैं। जिलेवार ऐसी दुकानें जो AAY हेतु मैप नहीं हैं, उनमें चीनी का उप–आवंटन करणीय नहीं है। किसी भी जिले द्वारा Non-AAY दुकान को चीनी का उप–आवंटन किए जाने पर संबंधित का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

13. उक्तानुसार वितरण हेतु चीनी की दर विभागीय आदेश कमांक एफ. 40(2)खा.ले./नीति/चीनी/2015–16 दिनांक 29.11.2017 के अनुसार प्रति किग्रा 24.50/– रूपये की दर प्रभावी होगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

28/10/18

(अंजू राजपाल)
उपायुक्त (प्रथम)

अंजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

Sugar allotment for the month of Oct-18 to Dec-18

Date:-01.10.2018

Sr. No.	District	Total No. of Sugar FPS	AAY DRC	AAY Entitlement (K.G.)	Opening Balance(K.G.)	Final Allotment (K.G.)	No. of Bags
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	926	21560	64,680.00	1,245,183.63	15800	316
2	Alwar	1,193	22590	67,770.00	1,312,699.49	45950	919
3	Banswara	651	48368	145,104.00	417,584.42	88900	1778
4	Baran	589	51064	153,192.00	939,680.56	81100	1622
5	Barmer	1,041	24505	73,515.00	5,212,525.05	44250	885
6	Bharatpur	966	17209	51,627.00	820,825.39	30600	608
7	Bhilwara	824	27943	83,829.00	486,008.49	10550	211
8	Bikaner	736	12682	38,046.00	591,809.49	37300	746
9	Bundi	443	13580	40,740.00	408,677.28	29100	582
10	Chittaurgarh	661	32670	98,010.00	358,642.61	29250	585
11	Churu	895	24501	73,503.00	481,895.04	25350	507
12	Dausa	763	11229	33,687.00	312,366.86	20750	415
13	Dhaulpur	444	9874	29,622.00	1,075,410.99	17150	343
14	Dungarpur	557	33698	101,094.00	373,774.90	61050	1221
15	Ganganagar	764	12554	37,662.00	267,399.47	43400	868
16	Hanumangarh	656	14701	44,103.00	309,174.65	15400	308
17	Jaipur	1,190	14601	43,803.00	1,000,836.64	32800	656
18	Jaisalmer	313	6570	19,710.00	362,172.30	8250	165
19	Jalor	616	23461	70,383.00	426,258.90	48850	976
20	Jhalawar	613	17420	52,260.00	393,381.60	32400	648
21	Jhunjhunun	706	9607	28,821.00	667,432.71	25000	500
22	Jodhpur	968	9546	28,638.00	561,612.57	36200	724
23	Karauli	550	18383	55,149.00	282,552.73	12100	242
24	Kota	491	11320	33,960.00	773,725.85	30300	606
25	Nagaur	1,224	18039	54,117.00	427,420.83	49650	993
26	Pali	738	20698	62,094.00	1,480,171.55	9600	193
27	Pratapgarh	349	15271	45,813.00	565,118.73	9100	182
28	Rajsamand	511	20526	61,578.00	412,322.70	18750	376
29	Sawai Madhopur	583	16705	50,115.00	465,424.21	21350	427
30	Sikar	822	9299	27,897.00	715,925.08	21100	422
31	Sirohi	422	11446	34,338.00	2,387,008.98	14350	287
32	Tonk	559	18660	55,980.00	1,686,482.11	30200	604
33	Udaipur	1,051	62278	186,834.00	1,789,424.73	122550	2452
Total		23,815	682,558	2,047,674.00	29,010,930.52	1,118,450	22367

Disclaimer: The report generated is based on the data fed/entered/supplied from multiple sources by the field functionaries working in workflow based environment. Responsibility of authenticity and accuracy of the data lies at the source of the data. The data as per the report may be coorelated with official records. Any thing contained in this document would not lead to any

03/10/18.

अंजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ.12 (1) खा.वि./चीनी/2015.II जयपुर दिनांक 03.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, राज0, जयपुर ।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. महाप्रबंधक (वित्त), राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम0 जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.21(79)राराखानाआनि/चीनी/आवंटन/2017–18/2140 दिनांक 08.05.2018 के क्रम में।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार तृतीय त्रैमास (अक्टूबर–नवम्बर–दिसम्बर) हेतु पासॅ मशीन के माध्यम से वितरण के लिए पात्र परिवारों (अन्त्योदय अन्न लाभार्थियों) हेतु परिवार 3 किग्रा चीनी त्रैमास अवधि में एक अथवा एकाधिक ट्रांजेक्शन वितरण वितरण का ऑप्शन एक्टिवेट करावे।
7. निजी सचिव, उपायुक्त एवं सयुंक्त शासन सचिव (प्रथम), खाद्य विभाग, जयपुर ।
8. समस्त जिला प्रबन्धक, राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम0, राजस्थान।
9. तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिला रसद अधिकारीगण के माध्यम से प्राप्त जिलेवार उप–आवंटन को विभागीय पोर्टल पर डालना सुनिश्चित करावें।
10. रक्षा पत्रिका।

3/10/18

उपायुक्त (प्रथम)
अंजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग